उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक



यूपीएराआईडीए काम्प्लेक्स A-1/4, लखनपुर

कानपुर - 208024

दूरगाच : 2582851-53 (PBX) : (0512) 2580797 वेगराइट : www.upsidc.com

: md@upsidc.com - U26960UP196ISGC002834

संदर्भ सं0

/ एराआई डीए / रथा०

दिनांक

कार्यालय आदेश

उ०प्र0रा0औ0िव0 निगम में वर्ष 2008-09 एवं वर्ष 2009-10 में सामान्य वैकलाग भर्तियों में की गयी अनियमितताओं की जॉच हेतु उ०प्र० शासन के पत्र सं० 339/77-4-17-59-012 दिनांक 02.05.2017 के अनुपालन में कार्यालय आदेश सं0 4241-42/एसआईडीसी/स्था/जॉच दिनांक 16.08.2018 एवं कार्यालय आदेश संख्या 2601—2602 / एसआईडीए / स्था0—जांच दिनांक 08.08.2019 द्वारा श्रीमती कल्पना, महाप्रवन्धक(विधि) की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। श्रीमती कल्पना, महाप्रबन्धक(विधि) का प्राधिकरण से स्थानान्तरण हो जाने के कारण कार्यालय आदेश संख्या 1714–19/एसआईडीए/स्था० जांच विषयक दिनांक 13.07.2021 द्वारा श्री राजेश कुमार राय, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था।

उक्त गठित समिति के अध्यक्ष श्री राजेश कुमार राय, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी का रथानान्तरण हो जाने, सदस्य श्री पंकज पाण्डेय, सहायक महाप्रबन्धक(प्र०/साा०) को शासन द्वारा निलम्बित किए जाने एवं सदस्य श्री ए०के० वर्मा, प्रभारी वरिष्ठ प्रबन्धक(सिविल) की पुर्निनयुक्ति अवधि माह जनवरी 2022 में पूर्ण होने के दृष्टिगत उपरोक्त प्रकरण में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा प्रदत्त अनुमोदन दिनांक 21.01.2022 के कम में प्रश्नगत प्रकरण की विस्तृत जांच हेतु निम्नलिखित अधिकारियों की नयी समिति गठित की जाती है :--

1. श्री राजेश पाराशर महाप्रबन्धक(विधि)

2. श्री खजान सिंह

उप महाप्रबन्धक(विद्युत) 3. श्रीमती मोनिका कुमार

सहायक महाप्रबन्धक(प्र0 / सा0)

अध्यक्ष

सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति प्रकरण की विस्तृत जांच कर शीघ्रातिशीर्घ जांच आख्या मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

जिन्न विषय्भे अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संदर्भ संख्या 4977-5000/एसआईडीए/स्था० Vol/ 1 दिनांक 27-0/-2022 प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थएवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समिति के अध्यक्ष / सदस्यों को नाम से।

2. प्रभारी (कम्प्यूटर), कम्प्यूटर अनुभाग, मुख्यालय, कानपुर को वेवसाइट पर अपलोड कराने हेत्।

3. निजी सचिव, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, मुख्यालय, कानपुर।

4. निजी सचिव, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी कैम्प को इस निर्देश के साथ कि विभागीय जॉच से सम्बन्धित पत्रावली, जो तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (आर) को प्राप्त कराई गई थी, उसे गठित समिति के अध्यक्ष / महापूर्य धक (विधि) को उपलब्ध करा दे।